माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में दिनांक 28/03/2022 को आयोजित राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की 181वीं बैठक का कार्यवाही विवरण

माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी की अध्यक्षता में दिनांक 28/03/2022 को राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की 181वीं बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में मुख्य सचिव-मध्य प्रदेश शासन, कार्यकारी निदेशक-सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, अपर सचिव-वित्तीय सेवाएँ विभाग भारत सरकार, राज्य शासन के वरिष्ठ अधिकारीगण, प्रभारी अधिकारी-भारतीय रिजर्व बैंक, मुख्य महाप्रबंधक-नाबार्ड सहित बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थानों के प्रतिनिधियों द्वारा सहभागिता की गई। संयोजक-एसएलबीसी द्वारा बैठक में एजेण्डावार प्रस्तुतिकरण किया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा निम्नलिखित निर्देश दिये गए:-

I. <u>स्व-रोजगार योजनाओं की प्रगति की समीक्षा</u>

1. राज्य सरकार एवं भारत सरकार की सभी स्व-रोजगार योजनाओं के वर्ष 2021-22 के शतप्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करने के लिए बैंकर्स मिशन मोड में कार्य करें। प्रदेश में स्व-रोजगार के अवसर सृजित करने पर बल दिया | साथ ही स्व-रोजगार के माध्यम से महिला सशक्तिकरण पर भी जोर दिया।
2. मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए संजीवनी की भांति है। योजना अंतर्गत पढ़े-लिखे बेरोजगार युवाओं को लाभान्वित करने के लिए बैंक अधिकाधिक प्रयास करें। गरीब एवं जरूरतमंद युवाओं को इसका लाभ मिले, इसका विशेष रूप से ध्यान रखे। बैंको द्वारा लंबित प्रकरणों का 31 मार्च, 2022 तक निराकरण सुनिश्चित किया जाये। साथ ही इस योजना अंतर्गत बैंकों द्वारा पृथक से गारंटी की मांग नहीं की जाये।
3. हितग्राहियों को विभिन्न स्व-रोजगार योजनाओं का भरपूर लाभ मिल सके, इस हेतु संबंधित विभागों द्वारा प्रदेश में जागरूकता अभियान चलाया जाये।
4. राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के शतप्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करने के लिए बैंकर्स मिशन मोड में कार्य करें। भारतीय स्टेट बैंक तथा अन्य बैंकों, जिनके द्वारा लक्ष्य के औसत से प्राप्ति की गई है, की प्रगति पर असंतोष व्यक्त किया गया।
5. राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन अंतर्गत वर्ष 2021-22 के लक्ष्य प्राप्त किए जाये। साथ ही स्वीकृत प्रकरणों में वितरण भी सुनिश्चित किया जाये।
6. पशुपालकों एवं मत्स्यपालकों को केसीसी प्रदान करने की प्रगति बढ़ाई जाए। विभाग द्वारा दूध और मछली उत्पादन में नई क्रांति लाने की कोशिश की जाये। राष्ट्रीय पशुधन

मिशन अंतर्गत विभिन्न बैंकों में काफी प्रकरण लंबित हैं जिन्हें 15 दिवस में निराकृत किया जाये।

7. प्राइवेट बैंकों की स्व-रोजगार एवं अन्य शासकीय योजनाओ में प्रगति, कुछ बैंकों को छोड़कर, असंतोषप्रद है। अत:, सभी प्रायवेट बैंक आवंटित लक्ष्यों की पूर्ति सुनिश्चत करें।

8. मा0 मुख्य मंत्रीजी द्वारा सभी बैंक से अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग तथा पिछड़ावर्ग के लोगों को आधिकाधिक ऋण उपलब्ध करायें, क्योंकि प्रदेश की जनसंख्या के अनुपात में इन वर्गों के लोगों को ऋण का प्रतिशत काफी कम है, जिसमें सुधार लाने की आवश्यकता है।

<u>कार्यवाही : सभी बैंक</u>

II. <u>शासकीय योजनाओं में एनपीए की समीक्षा</u>

9. प्रधानमंत्री स्व-निधि योजना की प्रगति की समीक्षा के दौरान यह उल्लेख किया गया कि योजना में हितग्राही को दिये गये ऋण की वसूली हेतु संबंधित विभाग नियमित रूप से हितग्राही से सम्पर्क करे जिससे द्वितीय एवं तृतीय चरण की किश्तों का निर्गमन हो सके।

<u>कार्यवाही : नगरीय प्रशासन एवं आवास विभाग</u>

10. मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की जिंदगी में काफी बदलाव आया है। इस योजनान्तर्गत बढ़ते एनपीए पर चिंता व्यक्त की और विभाग को त्ऋण की वसूली में बैंकों को सहयोग देने के निर्देश दिये गये। साथ ही विभाग द्वारा इस योजना का Impact Assessment करवाया जाये।

<u>कार्यवाही : पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग</u>

11. मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजनांतर्गत बढ़ते एनपीए से निपटने के लिए बैंकों ने राज्य शासन से सहयोग करने का अनुरोध किया। इस विषय पर यह निर्णय लिया गया कि सभी बैंकों की ओर से एसएलबीसी द्वारा एक समेकित प्रस्ताव विभाग को दिया जाये, जिस पर विभाग द्वारा कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। इस योजना के एनपीए संबंधी बिन्दुओं के निराकरण हेतु विभाग द्वारा बैंकों से परामर्श कर कार्ययोजना तैयार की जाये।

<u>कार्यवाही : पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग</u>

12. सरफेसी एक्ट में समय-सीमा अंतर्गत प्रकरण के निराकरण हेतु कलेक्टर्स को निर्देश जारी किये जाएं।

<u>कार्यवाही: संस्थागत वित्त</u>

III. <u>वार्षिक साख योजना वर्ष 2021-22 (दिसंबर तिमाही)की समीक्षा</u>

13. वार्षिक साख योजना की समीक्षा के दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा उल्लेख किया गया कि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को फोकस किया जाना आवश्यक हे क्योंकि इस क्षेत्र में निरंतर गिरावट परिलक्षित हो रही है। इसी प्रकार कृषि क्षेत्र में अग्रिम की प्रगति भी संतोषप्रद नहीं पाई गई है। राज्य की वार्षिक जी.एस.डी.पी. में वृद्वि की दर 19 प्रतिशत से अधिक है जबकि प्रदेश में साख एवं ऋण की वृद्वि दर 8 प्रतिशत के आसपास है, जो विचारणीय है।

<u>कार्यवाही : सभी बैंक</u>

14. कम साख-जमा अनुपात वाले (40% से कम) 7 जिलों हेतु नेबकांस द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन अनुसार जिलों में वित्तीय प्रवाह सुनिश्चित किया जाये।

<u>कार्यवाही : संबंधित जिलों के अग्रणी बैंक तथा जिलों में कार्यरत सभी बैंक</u>

15. राज्य की वार्षिक साख योजना वर्ष 2022-23 हेतु विभागीय योजनाओं समाहित करते हुए राज्य स्तर से पी.एल.पी. तथा गत वर्ष में हुई प्रगति के आधार पर जिलेवार लक्ष्य आकलित किए जाकर जिलों को सूचित किये जाये। जिला स्तर पर वार्षिक साख योजना में आवश्यकता अनुसार संशोधन करते हुए साख योजना तैयार की जाये। राज्य शासन स्तर से सभी जिला कलेक्टर को निर्देश जारी किये जाये। दिनांक 8 अप्रेल, 2022 को प्रस्तावित कलेक्टर-कमिश्नर कांफ्रेंस के दौरान भी इस विषय पर मा. मुख्य मंत्रीजी द्वारा चर्चा की जायेगी।

<u>कार्यवाही: स्व-रोजगार योजना संचालन करने वाले सभी विभाग, संस्थागत वित्त एवं एसएलबीसी</u>

IV. <u>बैंकों के व्यवसाय वृद्धि की समीक्षा (वर्ष 2021-22 दिसंबर तिमाही)</u>

16. बैंकों के व्यवसाय वृद्धि (वर्ष 2021-22 दिसंबर तिमाही) की समीक्षा करते हुये माननीय मुख्यमंत्री जी ने अगले वित्तीय वर्ष में राष्ट्रीय औसत के बराबर बैंकों एवं जिलों के प्रदर्शन करने हेतु कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिये |

<u>कार्यवाही: एसएलबीसी एवं संस्थागत वित्त</u>

17. आगामी एसएलबीसी में साख-जमा अनुपात की जिले-वार समीक्षा होगी।

<u>कार्यवाही: एसएलबीसी</u>

18. एसएलबीसी द्वारा सभी जिलों एवं बैंकों को व्यवसाय एवं साख-जमा अनुपात में वृद्वि हेतु निर्देश जारी किये जाये।

<u>कार्यवाही: एसएलबीसी</u>

V. <u>वित्तीय समावेशन</u>

19. सभी बैंकों द्वारा स्व-सहायता समूहों की सदस्य महिलाएं, जिनके द्वारा परीक्षा पास की जा चुकी है, को बैंक सखी (बी.सी.ए.) बनाने पर प्राथमिकता दी जाये। सभी बैंक एसआरएलएम के साथ समन्वय कर यह कार्य सुनिश्चित करे |

<u>कार्यवाही: एसआरएलएम तथा सभी बैंक</u>

VI. <u>पीएम स्वामित्व योजना</u>

20. प्रधान मंत्री स्वामित्व योजना में प्रॉपर्टी कार्ड धारकों को अगले माह से बैंकों द्वारा ऋण उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।

<u>कार्यवाही: राजस्व विभाग, सभी बैंक तथा अन्य संबंधित विभाग</u>

21. बैंकों के माध्यम से संचालित योजनाओं हेतु बनाये गये पोर्टल से सभी शासकीय विभाग अपनी-अपनी योजनाओं को जोडने की कार्यवाही सुनिश्चित करें।

<u>कार्यवाही: समस्त विभाग</u>

VII. <u>स्व-रोजगार योजनाओं के वार्षिक लक्ष्य के संबंध में</u>

22. मुख्यमंत्रीजी ने उल्लेख किया कि चालू वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्य में कमी पाये जाने पर बैंक को अगले वित्तीय वर्ष हेतु निधार्रित किये जाने वाले लक्ष्यों में पूर्व वष्र के शेष लक्ष्यों को अतिरिक्त रूप से आवंटित किया जाये। यदि बैंक को आवंटित लक्ष्य के सम्बंध में किसी प्रकार की आपत्ति है तो एक सप्ताह के भीतर अपनी आपत्ति सम्बंधित विभाग, संचालनालय संस्थागत वित्त तथा एसएलबीसी को सूचित किया जाये। अन्यथा बैंक को आवंटित लक्ष्य की पूर्ति सुनिश्चित करना होगी।

<u>कार्यवाही: संबंधित बैंक</u>

बैठक धन्यवाद ज्ञापन के साथ सम्पन्न हुई |

<u>(मा. मुख्यमंत्रीजी द्वारा अवलोकन उपरांत जारी)</u>

xxxxxxx